प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 149/2023

अनवान : –

1. सन्तोष देवी पत्नी दयाराम जाति सुथार निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 17/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 49/44 कुल 16.1920 हैक्ट भूमि में कम स0 28 पर 63/8096 हिस्सा व कम स0 29 पर 1/32 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थीया का नाम सहवन से उक्त वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड में कम स0 28 व 29 पर सन्तोष देवी पत्नी दयाराम उर्फ फुसाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम सन्तोष देवी पत्नी दयाराम है। यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज रहने से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थीया का अन्य दस्तावेजात यथा मतदाता पहचाना पत्र, आधारकार्ड, राशन कार्ड, एवं सरंपच ग्राम पंचायत ढीलकी जाटान द्वारा तस्दीक प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थीया का नाम सन्तोष देवी पत्नी दयाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज हुआ है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया अपना नाम संशोधित करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। हमने प्रार्थी को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। रोही मौजा 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 49/44 कुल 16.1920 हैक्ट भूमि में कम स0 28 व 29 पर सन्तोष देवी पत्नी दयाराम उर्फ फुसाराम नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। प्रार्थीया का कथन है कि उसका सही नाम सन्तोष पत्नी दयाराम है यही नाम अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का ढीलकी जाटान, भू0अ0नि0 गोगामेड़ी एवं नायब तहसीलदार रामगढ़ की रिपोर्ट में भी नाम संशोधन की अभिशंषा की गई है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा मतदाता पहचाना पत्र, आधारकार्ड, राशन कार्ड, आदि में प्रार्थीया का नाम सन्तोष देवी पत्नी दयाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है। प्रार्थीया के नाम के संबंध में ग्राम पंचायत ढीलकी जाटान ने तस्दीक भी पेश की गई है प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत ढीलकी के आधार पर प्रार्थीया का नाम सन्तोष देवी पत्नी दयाराम होना प्रतीत होता है। नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच की तस्दीक तथा नायब तहसीलदार एवं भू0अ0नि0 एव पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 49/44 कुल 16.1920 हैक्ट भूमि में कम स0 28 पर 63/8096 हिस्सा व कम स0 29 पर 1/32 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रार्थीया का नाम सन्तोष देवी पत्नी दयाराम उर्फ फुसाराम के स्थान पर सन्तोष देवी पत्नी दयाराम का संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:20:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023
नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प :गोगामेड़ी

राजस्थान सरकार

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 कैम्प कोर्ट–गोगामेड़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0) कैम्प :–गोगामेड़ी**

क्रमांक : कैम्प / सशोधन / 2023 / 673 दिनांक : 31/05/2023

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 149 / 2023 अनवानी संतोष देवी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

अनवान :–

1. सन्तोष देवी पत्नी दयाराम जाति सुथार निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 49 / 44 कुल 16.1920 हैक्ट भूमि में क्रम स0 28 पर व क्रम स0 29 पर दर्ज नाम सन्तोष देवी पत्नी दयाराम उर्फ फुसाराम के स्थान पर सन्तोष देवी पत्नी दयाराम का संशोधन किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
नोहर (हनुमानगढ़)
कैम्प : ढीलकी जाटान

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:20:33 IST
Reason: SelfAttested